

—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0-81/2022

(जीसीएमएस नं0 2022/22)

उनवान -सरकार बनाम पीयूष अग्रवाल पुत्र श्री विजय कुमार , उम्र 21 वर्ष , जाति वैश्य ,मालिक मैसर्स: पीयूष एन्टरप्राइजेज ,तोप तिराहा, नर्सिंग रोड, धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/54 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -28.06.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त पीयूष अग्रवाल पुत्र श्री विजय कुमार , उम्र 21 वर्ष , जाति वैश्य ,मालिक मैसर्स: पीयूष एन्टरप्राइजेज , तोप तिराहा, नर्सिंग रोड, धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/54 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.07.2022 को अभियुक्त/अप्रार्थीगण के दुकान मैसर्स:- पीयूष एन्टरप्राइजेज , तोप तिराहा, नर्सिंग रोड, धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान में कट्टे में लगभग 30 किलोग्राम बूरा आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त में मिलावट का शक होने पर उक्त बूरा में से 1 किलोग्राम बूरा को वास्ते नमूना जाँच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त बूरा नमूना डी-2519 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/840/एक्ट/2022/840 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया बूरा Food Containing Extraneous matter प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 54 में वर्णित है । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी द्वारा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त बूरा Food Containing Extraneous matter का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी बूरा Food Containing Extraneous matter बेचने का दोषी है जो धारा 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः श्री पीयूष अग्रवाल पुत्र श्री विजय कुमार , उम्र 21 वर्ष , जाति वैश्य ,मालिक मैसर्स: पीयूष एन्टरप्राइजेज , तोप तिराहा, नर्सिंग रोड, धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 के तहत 31,000/-रुपये (इक्तीस हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ब्रह्मलाल जीट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)